हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

चौदहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 134

मंगलवार, 7 मार्च, 2017/16 फाल्गुन, 1938(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

1. **प्रश्नोत्तरः**

(i) **तारांकित प्रश्नः**

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 3658 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 3732 से 3735, 3737 से 3741 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। सदस्य की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 3736 का उत्तर सभा पटल पर रखा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 3742 से 3750 तक के उत्तर सम्बन्धित मन्त्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1588 से 1593 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12-00 PM

2. कागजात सभा पटल पर :

(1) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरणों की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वर्ष 2013-14 (01-04-2013 से 31-03-2014 तक) (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन ब्यौरे की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वर्ष 2015-16 (01-04-2015 से 31-03-2016 तक)।

(2) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री** ने पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 7) की धारा 38 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) स्कीम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः यू0डी0-ए0-(3)-13/2015 दिनांक 23.02.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.02.2017 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री कर्ण सिंह, सहकारिता मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः आयु0-के-(3)-2/2014 दिनांक 22.08.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.09.2016 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. <u>**सदन की समिति का प्रतिवेदनः**</u>

श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सदस्य, कल्याण समिति, (**वर्ष 2016-17**) ने समिति का **33वां मूल प्रतिवेदन** जोकि हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा पटल में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. <u>**राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चाः**</u>

दिनांक 3 मार्च, 2017 को **श्री जगजीवन पाल, सदस्य** द्वारा प्रस्तुत तथा **श्री संजय रतन, सदस्य** द्वारा अनुसमर्थित निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चाः-

> **"इस सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय का दिनांक 1 मार्च, 2017 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, हृदय से आभार प्रकट करते हैं।"**

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री रविन्द्र सिंह
2. श्री नन्द लाल, मुख्य संसदीय सचिव

(अपराह्न 1.15 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक स्थगित हुई)

(अपराह्न 2.15 बजे सदन की बैठक माननीय श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

3. श्री रणधीर शर्मा
4. श्री राम कुमार
5. श्री बिक्रम सिंह
6. श्रीमती आशा कुमारी
7. श्री वीरेन्द्र कंवर

(माननीय उद्योग मन्त्री द्वारा हस्तक्षेप)

8. श्री मनसा राम, मुख्य संसदीय सचिव

(सांय 5.00 बजे सदन की बैठक सांय 7.00 बजे तक बढ़ाई गई)

9. श्री नरेन्द्र ठाकुर
10. श्री रवि ठाकुर
11. श्री विजय अग्निहोत्री

(माननीय उद्योग मन्त्री द्वारा हस्तक्षेप)

12. श्री किरनेश जंग
13. श्री विनोद कुमार

(माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा हस्तक्षेप)

14. श्री पवन काजल

(सांय 7.00 बजे सदन की बैठक रात्रि 8.00 बजे तक बढ़ाई गई)

15. श्री सुरेश कुमार
16. श्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव
17. श्री कृष्ण लाल ठाकुर

(रात्रि 8.00 बजे सदन की बैठक रात्रि 8.30 तक बढ़ाई गई)

18. श्री बिक्रम सिंह जरयाल

(रात्रि 8.00 बजे सदन की बैठक रात्रि 8.35 बजे तक बढ़ाई गई)

(माननीय वन मन्त्री द्वारा हस्तक्षेप)

(रात्रि 8.35 बजे सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 8 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)